राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्र. एफ 40(7)ग्रावि / नरेगा / सा. पत्रा. / 2010 जयपुर, दिनांक: 24 JAN 2011

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
जोधपुर।

विषयः **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत निविदाओं में लाईन विभागों द्वारा ग्रेवल व डब्लू.बी.एम. की कुटाई की निविदाओं के संबंध में।**
प्रसगः **अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक जोधपुर के पत्रांक महानरेगा/ अभि./10–11/11150 दिनांक 06.01.2011**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर ने महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सड़क कार्य कन्सोलिडेशन हेतु प्राप्त निविदाओं में सम्पूर्ण आईटम की दर में से अकुशल श्रमिक की दर को घटा कर शेष रही राशि की निविदाएं आमंत्रित की हैं उनके द्वारा दर अनुमोदन में कठिनाई बताते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

इस संबंध में विभागीय पत्र दिनांक 23.04.2010 के बिन्दु संख्या 5 तथा पत्र दिनांक 13.10.2010 के बिन्दु संख्या 2 में सम्पूर्ण आईटम की निविदा किया जाना अनुमत नहीं है। लेकिन इस प्रकार के विशेष प्रकरण में चूंकि निविदाओं में ली गई सामूहिक सामग्री दर जिसमें केवल रोलर मय पीओएल किराया, पानी इत्यादि खर्च शामिल हैं तर्कसंगत लगता है। अतः ग्रेवल कन्सोलिडेशन तथा डब्लू बीएम कन्सोलिडेशन की दर में से अकुशल श्रमिक की दर घटा कर शेष सामग्री (रोड रोलर मय पीओएल एवं पानी) दर कों सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

भवदीय,
21/1/11
(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :–

1. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, समस्त राजस्थान।
2. मुख्य अभियंता (एस. एण्ड एस.), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।

21/1/11
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस